

प्रेषक,

डा० अनूप चन्द्र पाण्डेय,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
- 6- समस्त नगर आयुक्त, उ०प्र०।
- 7- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ०प्र० (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
- 10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र० (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
- 11- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र० (जिलाधिकारी के माध्यम से)।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 02 जनवरी, 2019

विषय:- उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार कुल 501.82 लाख गोवंशीय+महिषवंशीय पशुओं में से 195.57 लाख गोवंशीय पशु हैं। कृषि कार्य में मशीनीकरण के कारण स्वदेशी/अवर्णित गोवंश के नर वत्स का उपयोग कृषि कार्य में किये जाने की परिपाटी प्रदेश से लगभग समाप्त हो गयी है। विदेशी नस्ल के नर वत्स का उपयोग उनमें डील (हम्प) नहीं होने के कारण कृषि कार्य में नहीं होता है इस कारण वर्तमान में गोवंशीय नर वत्स अनुपयोगी होते जा रहे हैं। इन नर गोवंश को पशु स्वामी बेसहारा छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त ये निराश्रित गोवंश अनियंत्रित प्रजनन द्वारा अनुपयोगी/कम उत्पादकता के गोवंश की उत्पत्ति करते हैं जो निराश्रित पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे निराश्रित/बेसहारा गोवंश (नर+मादा) की संख्या में कमी किया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें चलाकर निराश्रित एवं बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान एवं संख्या में कमी लाने का लगातार प्रयास कर रही है तथापि इस ज्वलन्त समस्या के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति प्रख्यापित की जा रही है।

## 2- नीति का उद्देश्य:-

1. निराश्रित/बेसहारा गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराया जाना।
2. आश्रय स्थल पर रखे गये गोवंश हेतु भरण-पोषण की व्यवस्था।
3. संरक्षित गोवंश को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था तथा नर गोवंश का बंध्याकरण कराना।
4. संरक्षित मादा गोवंश को प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना।
5. गोवंश से उत्पादित दूध, गोबर, कम्पोस्ट आदि के विक्रय व्यवस्था से आश्रय स्थल को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी (Self sustainable) बना कर जनमानस को निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या से छुटकारा दिलाना।

## 3- नीति को क्रियान्वित करने की कार्ययोजना:-

पशु अतिचार अधिनियम-1871 (संशोधित-21 अगस्त, 1996) में दिये गये प्राविधानों व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 की धारा-4 के अधीन स्थापित भारतीय जीव जन्तु कल्याण

2  
24

पि.म.क.

बोर्ड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश पत्रांक-9-3/2018-19/पी0सी0ए0, दिनांक-12 जुलाई, 2018 के अनुसार निराश्रित पशुओं के संरक्षण एवं भरण-पोषण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है।

- 3.1 उक्त दिशा-निर्देशानुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी संपूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना/व्यवस्था एवं प्रबन्धन/संचालन स्थानीय निकाय यथा ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम (जहाँ जैसी स्थिति लागू हो) द्वारा की जायेगी।
- 3.2 ये स्थानीय संस्थाएँ अपने स्तर से स्वयं सेवी संस्थाओं अथवा सी0एस0आर0 में आने वाली कम्पनियों की सहायता इन अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबन्धन/संचालन में ले सकते हैं।
- 3.3 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी संपूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना का कार्य संबन्धित सुसंगत स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा।
- 3.4 अस्थायी आश्रय स्थलों के स्थापना हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था मनरेगा, संबन्धित सुसंगत स्थानीय निकायों की संचित निधि (यथा-ग्राम पंचायत निधि/क्षेत्र पंचायत निधि/जिला पंचायत निधि, नगर निकायों की निधियाँ आदि), वित्त आयोग, खनिज विकास निधि, रायफल निधि, सांसद क्षेत्र विकास निधि, विधायक क्षेत्र विकास निधि आदि से करायी जा सकती है।
- 3.5 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के संचालन, प्रबन्धन व भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा यथासंभव अपने स्वयं के संसाधनों से की जायेगी।
- 3.6 गोवंश के भरण-पोषण में निकायों में उपलब्ध संसाधनों में कमी के दृष्टिगत अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर संबन्धित स्थानीय निकाय की माँग पर शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से वित्त पोषण किया जायेगा।
- 3.7 शासन स्तर से अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबन्धन/संचालन/भरण-पोषण विषयक वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के स्थलीय/भौतिक निरीक्षण के उपरान्त संरक्षित गोवंश की संख्या के 70 प्रतिशत की संख्या को आधार मानते हुए शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित धनराशि के आधार पर भरण-पोषण हेतु अनुदान देय होगा। यह व्यवस्था कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक-15.11.2017 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निर्गत पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 2557/सैतीस-2-2017-5(16)/2017, दिनांक-15 दिसम्बर, 2017 के अनुसार की जायेगी।
- 3.8 प्रत्येक जनपद में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 1000 निराश्रित/बेसहारा गोवंश पशुओं के अस्थायी आश्रय निर्माण हेतु विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं दायित्व (मुख्यालय व फील्ड सहित):-

3.8.1 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु भूमि चिन्हांकन व भूमि उपलब्ध कराना:-

| क्र0<br>स0 | कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | विभाग                                                                                                                                                                   | संबन्धित अधिकारी एवं कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8.1      | ग्राम पंचायत स्तर/नगर निकाय स्तर पर निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी आश्रय स्थल बनाने योग्य निर्विवादित भूमि (जिसमें चारागाह/गोचर भूमि भी सम्मिलित है) उपलब्ध कराना। सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, कृषि, गन्ना विकास आदि सहयोगी विभागों में भूमि यदि ग्राम स्तर पर उपलब्ध है तो उसे भी चिन्हांकित करना। | राजस्व, नगर विकास (मुख्य नोडल विभाग प्रदेश मुख्यालय स्तर पर) एवं न्याय, कर निबन्धन विभाग तथा अन्य सहयोगी विभाग जैसे सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, कृषि, गन्ना विकास विभाग आदि | प्रदेश मुख्यालय पर<br>1. मुख्य नोडल विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव व विभागाध्यक्ष<br>2. लाइन विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव व विभागाध्यक्ष<br>3. फील्ड स्तर पर<br>(क) मण्डलायुक्त,<br>(ख) जिलाधिकारी,<br>(ग) उप-जिलाधिकारी<br>(घ) लाइन विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी<br>4. नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी /नगर आयुक्त |

2  
7/4/18

3.8.2 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में अवस्थापना सृजन (जो कभी भी संपूर्णतः हटाया जा सके):-

| क्र०<br>स०   | कार्य                                                                                                                                                                                         | विभाग                                                                                          | संबन्धित अधिकारी एवं कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8.2<br>(क) | अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की भूमि को उपयोग योग्य बनाना<br>1- ऊसर, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना<br>2-भूमि समतलीकरण करना<br>3-जल संरक्षण कार्य/ तालाब निर्माण<br>4-खाई निर्माण (प्राकृतिक बाड़) | कृषि विभाग<br>नगर विकास विभाग<br>ग्राम्य विकास विभाग<br>पंचायती राज विभाग<br>समाज कल्याण विभाग | मनरेगा योजना की मार्गनिर्देशिका के अनुबन्ध-36 के अनुसार मनरेगा एवं डेरी तथा पशुपालन विभाग के मध्य कन्वर्जेन्स के अंतर्गत चारागाह कार्य अनुमन्य कार्य श्रेणी में सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत भूमि समतलीकरण, चारे हेतु घास का रोपण, पशुओं के प्रयोग हेतु तालाब की खुदाई, वृक्षारोपण का कार्य किया जा सकता है।<br>प्रदेश मुख्यालय: संदर्भित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव व विभागाध्यक्ष (राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के निर्देशों के क्रम में)<br>फील्ड स्तर पर संबन्धित विभागों के मण्डल/जनपद/तहसील/ विकासखण्ड स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त गण (जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के निर्देशों के क्रम में) |
| 3.8.2<br>(ख) | अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर वृक्षारोपण                                                                                                                                                      | वन विभाग / पंचायती राज /ग्राम्य विकास/ नगर विकास विभाग                                         | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मास्टर-सर्कुलर-2018-19 के पैरा-7.6.8 के अनुसार वृक्षा रोपण अनुमन्य कार्य श्रेणी सम्मिलित है।<br>संभागीय वनाधिकारी, संबन्धित क्षेत्राधिकारी (वन), जिला पंचायत राज अधिकारी, नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी आदि द्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.8.2<br>(ग) | अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों पर जल की व्यवस्था कराना                                                                                                                                             | सिंचाई विभाग / लघु सिंचाई विभाग / नेडा / नगर विकास                                             | पशु आश्रय स्थल पर पानी की समुचित व्यवस्था करना, सोलर पंप आधारित नलकूप की व्यवस्था, पशुओं हेतु पीने के पानी की व्यवस्था।<br>अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई/ लघु सिंचाई विभाग), परियोजनाधिकारी-नेडा, नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.8.2<br>(घ) | अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों पर चारा उपलब्ध कराना                                                                                                                                                | ग्राम्य विकास/पंचायती राज्य विभाग / नगर                                                        | गोवंश आश्रय स्थल पर पशुओं के चारे एवं भूसे की व्यवस्था करना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Br  
9.6.2

|           |                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                         | विकास विभाग                                               | भूसा रखने की व्यवस्था। यदि ग्राम पंचायतें इस कार्य को अपनी वार्षिक कार्य योजना (जी0पी0डी0पी0) में शामिल कर अनुमोदित करती हैं तो यह कार्य ग्राम पंचायत निधि के अंतर्गत संसाधनों के उपलब्धता के अनुसार कराया जा सकता है।<br>नगर आयुक्त, संबंधित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी |
| 3.8.2 (ड) | अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर सौर ऊर्जा/प्रकाश व्यवस्था | नेडा /नगर विकास विभाग / ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज | गोवंश आश्रय स्थल क्षेत्र में समुचित प्रकाश व्यवस्था करना। अतिरिक्त शासकीय अनुदान प्राप्त होने पर यह कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा सकता है।<br>परियोजनाधिकारी-नेडा, नगर आयुक्त, संबंधित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी                                                 |

### 3.8.3 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर अन्य सेवाएँ:-

|           |                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8.3 (क) | गोवंश आश्रय स्थल पर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था             | गृह विभाग/ग्राम्य विकास/पंचायती राज्य विभाग / राजस्व विभाग/ नगर विकास | गोवंश आश्रय स्थल पर पशुओं की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु पशु रक्षक/श्रमिक की व्यवस्था करना। श्रमिक द्वारा गोवंश को खिलाने की व्यवस्था, गोबर एकत्र करना, पशुओं को पानी पिलाना, दूध निकालना, हरा चारा काटना तथा सफाई व्यवस्था करना। अतिरिक्त शासकीय अनुदान प्राप्त होने पर यह कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा सकता है।<br>नगर आयुक्त, संबंधित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, संबंधित उपजिलाधिकारी |
| 3.8.3 (ख) | गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं की पशु चिकित्सा सेवाएँ | पशुपालन विभाग                                                         | संरक्षित गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, कृमिनाशक दवापान, बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान के साथ-साथ मृत पशुओं का शव परीक्षण इत्यादि का कार्य पूर्णतः निःशुल्क (लेवी से मुक्त) किया जायेगा।<br>मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पशुपालन विभाग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण में                                                                                                                                                      |

12  
22/11/2019

- 3.9 प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निकाय/स्थानीय निकाय क्षेत्रों में पिंजरापोल, कॉजी हाउस का पुनर्जीवीकरण कराया जाये। इनमें केयर टेकर/पर्यवेक्षण अधिकारी की अस्थायी/स्थायी व्यवस्था करते हुए इन्हें संचालित किया जायेगा। गायों का दूध निकाल कर उन्हें एवं उनके गोवत्स को छोड़ने वाले कृषकों/पशुपालकों का चिन्हांकन ग्राम स्तरीय विभागीय कार्मिक (यथा-राजस्व विभाग के लेखपाल, पुलिस विभाग के चौकीदार, ग्राम विकास के ग्राम विकास अधिकारी, पंचायती राज विभाग के पंचायतराज अधिकारी आदि) द्वारा किया जायेगा।
- 3.10 पशुपालको/कृषकों के अपने पालतू पशु सड़कों व सार्वजनिक स्थलों तथा अन्य व्यक्तियों की निजी भूमि पर संचरण हेतु यदि छोड़ा जाता है, तो इस दृष्टिकोण से स्थानीय पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन तथा नगर प्रशासन द्वारा उचित आर्थिक दण्डारोपण की कार्यवाही सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत की जायेगी।
- 3.11 ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में नगर विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा सक्रिय सहभागिता से जहाँ-जहाँ अप्रयुक्त खाली भूमि उपलब्ध है, उसे संबंधित विभाग के माध्यम से उस भूमि पर अस्थायी (किसी भी समय सम्पूर्णतया हटाया जा सकता है) गोवंश आश्रय स्थल निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

**4- गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन व प्रबन्धन को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी (self sustainable) बनाने हेतु किये जाने वाले कार्य:-**

- 4.1 गोवंश आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-नियोजन विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, स्किल डेवलपमेन्ट मिशन, ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग के सहयोग से बायोगैस, कम्पोस्ट/बर्मी कम्पोस्ट, पंचगव्य आधारित औषधियों/उत्पादों यथा साबुन, अगरबत्ती, मच्छर भगाने की कायल, गोनाइल (गोमूत्र से बनी फिनायल) औषधियों आदि का उत्पादन एवं विक्रय करना।
- 4.2 गोबर एवं गोमूत्र आधारित जैविक कृषि एवं बागवानी द्वारा।
- 4.3 गोशाला के गोबर व गोमूत्र से बने खाद व कीटनाशक के विक्रय द्वारा।
- 4.4 गोबर से बने गमलों के विक्रय द्वारा।
- 4.5 गोबर से बने लट्ठों का शमशान घाट में व सर्दियों में अलाव जलाने हेतु।
- 4.6 उद्यमियों को प्रेरित कर गोबर-गोमूत्र के सदुपयोग से बड़े बायोगैस/सी0एन0जी0 प्लाण्ट लगवाना।
- 4.7 शून्य बजट पर गो-आधारित प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाकर गोबर एवं गोमूत्र से प्राकृतिक तरीके से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत तथा कीटनाशक का निर्माण करके उनका कृषि कार्यों में प्रयोग करने पर गोवंश आश्रय स्थलों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी तथा वे स्वावलम्बी हो सकेंगे।

**5- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबन्धन के अनुश्रवण हेतु प्रशासकीय व्यवस्था:-**

गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबन्धन हेतु विकास खण्ड स्तरीय, तहसील स्तरीय, जनपद स्तरीय तथा मण्डल स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति का गठन एवं प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन संलग्नक-1 के अनुरूप किया जाता है।

**6- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, संचालन व प्रबन्धन हेतु प्रस्तावित वित्त व्यवस्था/स्रोत। शासन द्वारा प्रस्तावित नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु वित्त पोषण के संबंध में, सम्यक विचारोपरान्त, निम्न निर्णय लिये गये:-**

- 6.1 मण्डी परिषद से मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली 02 प्रतिशत की धनराशि प्रस्तावित कार्य पर व्यय किया जाये।
- 6.2 आबकारी विभाग द्वारा वार्षिक राजस्व के अतिरिक्त आय सेस लगाकर प्राप्त की जायेगी। इस सेस से प्राप्त धनराशि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, व्यवस्था, संचालन व प्रबंधन हेतु चिन्हांकित मदों में व्यय की जायेगी।

2  
22/1/19

- 6.3 प्रदेश में सार्वजनिक उद्यम विभाग के अंतर्गत लाभकारी निगमों व अन्य कार्यदायी संस्थाओं (यथा—उत्तर प्रदेश सेतु निगम, राजकीय निर्माण निगम, यूपीएसआईडीसी आदि) को होने वाले लाभ में 0.5 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सीएसआर के रूप में इस प्रयोजन हेतु व्यय की जाये।
- 6.4 राज्य सरकार के अधीन यूपीडा आदि संस्थाओं द्वारा अधिरोपित किये जा रहे टोल टैक्स में 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि “गौ कल्याण सेस” के रूप में अधिरोपित करते हुए इस प्रयोजन हेतु व्यय किया जाये।
- 6.5 आवश्यकतानुसार विभागीय योजनाओं में प्राप्त वित्त पोषण से डवटेल्सिंग करायी जायेगी।
- 7— शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, उपरोक्त प्रस्तर 3—5 में अंकित कार्ययोजना को क्रियान्वित करने हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं:—
- 7.1 प्रस्तर—3.1—3.6 के क्रियान्वयन व प्रस्तर—3.8.1 के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा अस्थायी (किसी भी समय सम्पूर्णतया हटाने योग्य) गोवंश आश्रय स्थल के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने विषयक सुसंगत विभागीय अधिनियमों, नियमावलियों, उपविधियों, शासनादेशों में सक्षम स्तर से अशोधन (Modification) व संशोधन (Amendment) की कार्यवाही की जायेगी।
- 7.2 प्रस्तर—3.8.2 के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में अवस्थापना सृजन (जो कभी भी सम्पूर्णतः हटाया जा सके) हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना पर सैद्धान्तिक अनुमोदन के साथ ही संबंधित विभागों को इस हेतु सक्षम स्तर से निर्णय कराने हेतु अधिकृत किया जाता है।
- 7.3 प्रस्तर—3.8.3 (क) के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर सुरक्षा एवं अन्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु चिन्हांकित विभाग पशु रक्षक/श्रमिक की व्यवस्था हेतु सक्षम स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन व साथ ही संबंधित विभागों को इस हेतु सक्षम स्तर से निर्णय हेतु अधिकृत किया जाता है।
- 7.4 प्रस्तर—3.8.3(ख) के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं को पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 7.5 प्रस्तर—4 के अनुसार गोवंश आश्रय स्थलों को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाने के साथ ही संबंधित विभागों को इस हेतु सक्षम स्तर से निर्णय हेतु अधिकृत किया जाता है।
- 7.6 प्रस्तर—5 के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन, प्रबंधन के अनुश्रवण, मूल्यांकन हेतु संलग्नक—1 के अनुसार गठित प्रशासकीय व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विशेषतः मंडल स्तरीय समिति द्वारा सघन अनुश्रवण किया जाये व जनपद स्तरीय समिति में जनप्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव आदि भी लिये जायें।
- 7.7 प्रस्तर—3 के अधीन प्रस्तावित अस्थायी गो आश्रय स्थलों पर रखे जाने वाले पशुओं का चिन्हांकन व पंजीकरण की भी व्यवस्था की जाये व इसमें यथासंभव सूचना प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाये।
- 7.8 संलग्नक—1 में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति द्वारा आवश्यकतानुसार निराश्रित गोवंश के भरण—पोषण हेतु अनुदान उपलब्ध कराये जाने विषयक मानक व प्रक्रिया भी निर्धारित किया जा सके।
- 8— उपरोक्त निर्णयों में कार्यहित में परिवर्तन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।
- 9— प्रस्तावित नीति में प्राविधानित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाय।
- 10— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन हेतु उपरोक्त नीति के अनुसार क्रियान्वयन करने हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही शीर्षस्थ प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाये।
- संलग्नक — यथोपरि।

भवदीय,

*A. Chandey*

(डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)

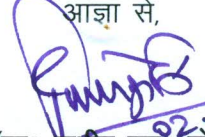
मुख्य सचिव।

*2*  
*OK*  
*21.*

पू0सं0-4324(1)/सैंतीस-2-2018- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 पशुधन राज्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त उप निदेशक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)  
प्रमुख सचिव।  
82.1.19  
a

2  
v. Anz

अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबन्धन  
के अनुश्रवणार्थ प्रशासकीय व्यवस्था

1. विकास खण्ड स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति-प्रथम 03 माह में बैठक सप्ताह में

न्यूनतम 01 बार तत्पश्चात् माह में 01 बार

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. खण्ड विकास अधिकारी            | अध्यक्ष    |
| 2. संबन्धित पशुचिकित्साधिकारी    | उपाध्यक्ष  |
| 3. संबन्धित ग्राम प्रधान         | सदस्य      |
| 4. संबन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी | सदस्य      |
| 5. वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी | सदस्य      |
| 6. सहायक विकास अधिकारी (कृषि)    | सदस्य      |
| 7. संबन्धित राजस्व निरीक्षक      | सदस्य      |
| 8. ग्राम पंचायत अधिकारी          | सदस्य सचिव |

समिति के कर्तव्य एवं दायित्व

- विकास खण्ड के समस्त ग्राम सभाओं में जहाँ निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या है, में अस्थायी आश्रय स्थल हेतु उपलब्ध गोचर भूमि का प्रबन्धन।
- ग्रामवासियों के सहयोग से गोवंश को आश्रय में लाए जाने की व्यवस्था करना।
- संरक्षित गोवंश हेतु चारा-दाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना।
- संरक्षित गोवंश की समुचित चिकित्सा व्यवस्था, अन्य पशुपालन संबन्धित कार्यों को पूर्णतः निःशुल्क (लेवी से मुक्त) कराया जाना।
- आश्रय स्थल पर हरे चारे की उपलब्धता हेतु खेत तैयार कराना, चारा बीज प्रबन्धन, सिंचाई व्यवस्था आदि कराना।
- आश्रय स्थल की सुरक्षा, लाइट की व्यवस्था करना।
- समस्त संरक्षित गोवंश का लेखा-जोखा रखना/टैग लगवाना।
- मृत पशुओं का निःशुल्क शव विच्छेदन कर निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा किसी गोवंश को क्रय किया जाता है तो समिति द्वारा निधारित कीमत पर बिक्री करना तथा यह सुनिश्चित करना कि पशु उक्त क्रेता के पास ही रहे तथा उसका उपयोग दुग्ध उत्पादन/कृषि कार्य के लिए ही किया जा रहा है। उक्त गोवंश के विक्रय से होने वाली आय ग्राम निधि की आय होगी जो पशुओं के भरण पोषण में ही प्रयोग की जा सकेगी।

2. तहसील स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति -बैठक प्रथम 03 माह में सप्ताह में

न्यूनतम 01 बार तत्पश्चात् माह में 01 बार

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. उपजिलाधिकारी               | अध्यक्ष    |
| 2. पुलिस उपाधीक्षक            | सदस्य      |
| 3. उप-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | सदस्य सचिव |
| 4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी   | सदस्य      |
| 5. तहसीलदार                   | सदस्य      |
| 6. समस्त नायब तहसीलदार        | सदस्य      |
| 7. अधिशासी अधिकारी नगर निकाय  | सदस्य      |



8. वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी      सदस्य  
9. उप संभागीय अधिकारी (कृषि प्रसार)      सदस्य

**समिति के कर्तव्य एवं दायित्व**

- विकास खण्ड स्तरीय समिति द्वारा किए जा रहे उक्त वर्णित कार्यों की समीक्षा।
  - विकास खण्ड स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
  - उपरोक्त व्यवस्था उपरान्त भी गोवंश निराश्रित न हो इसे सुनिश्चित किया जाना।
  - यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा पशुओं को छोड़ा जाता है तो इस संबंध में कार्यवाही किया जाना। कृषक/पशुपालक को प्रेरित किया जाना कि इस प्रकार का कार्य न करें जिससे समाज को कठिनाईयों का सामना करना पड़े।
3. जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति: प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम दो बार उसके पश्चात् प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है।
- |                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| 1. जिलाधिकारी                          | अध्यक्ष              |
| 2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक                | सदस्य                |
| 3. मुख्य विकास अधिकारी                 | सदस्य                |
| 4. नगर आयुक्त नगर निगम                 | सदस्य                |
| 5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी             | सदस्य सचिव           |
| 6. परियोजना निदेशक (डी.आर.डी.ए.)       | सदस्य                |
| 7. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत       | सदस्य                |
| 8. समस्त उप-जिलाधिकारी                 | सदस्य                |
| 9. अधिशासी अभियन्ता-सिंचाई             | सदस्य                |
| 10. अधिशासी अभियन्ता-लघु सिंचाई        | सदस्य                |
| 11. प्रभागीय वनाधिकारी(सामाजिक वानिकी) | सदस्य                |
| 12. जिला पंचायतराज अधिकारी             | सदस्य                |
| 13. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी           | सदस्य                |
| 14. जिला कृषि अधिकारी                  | सदस्य                |
| 15. जिला उद्यान अधिकारी                | सदस्य                |
| 16. डी.डी.एम (NABARD)                  | सदस्य                |
| 17. मा0 जनप्रतिनिधिगण सम्बन्धित जनपद   | विशेष आमंत्रित सदस्य |

**समिति के कर्तव्य एवं दायित्व**

- विकास खण्ड/तहसील स्तरीय समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा।
  - तहसील स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
  - अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु वित्तीय प्रबन्धन
  - उपरोक्त व्यवस्था उपरान्त भी गोवंश निराश्रित न हो इसे सुनिश्चित किया जाना।
  - यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा पशुओं को छोड़ा जाता है तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना। कृषक/पशुपालक को प्रेरित किया जाना कि इस प्रकार का कार्य न करें जिससे समाज को कठिनाईयों का सामना करना पड़े।
4. मण्डल स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति: प्रथम तीन माह में न्यूनतम दो बार तत्पश्चात् प्रत्येक माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है।

- |                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 1- मण्डलायुक्त                             | अध्यक्ष |
| 2- पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक  | सदस्य   |
| 3- स्थानीय निकाय, नगर विकास विभाग के मण्डल |         |

2  
22/11

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी                                                                         | सदस्य      |
| 4- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग                                                                    | सदस्य सचिव |
| 5- उप निदेशक, पंचायती राज विभाग                                                                 | सदस्य      |
| 6- मुख्य अभियन्ता, संबंधित मण्डल, सिंचाई विभाग                                                  | सदस्य      |
| 7- वन संरक्षक, वन विभाग                                                                         | सदस्य      |
| 8- उप निदेशक, कृषि विभाग                                                                        | सदस्य      |
| 9- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों से संबंधित अन्य सुसंगत विभागों के मण्डल स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारीगण | सदस्य      |

**समिति के कर्तव्य एवं दायित्व:-**

- जनपद स्तरीय समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा।
- जनपद स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु वित्तीय प्रबन्धन
- उपरोक्त व्यवस्था उपरान्त भी गोवंश निराश्रित न हो इसे सुनिश्चित किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा पशुओं को छोड़ा जाता है तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना। कृषक/पशुपालक को प्रेरित किया जाना कि इस प्रकार का कार्य न करें जिससे समाज को कठिनाईयों का सामना करना पड़े।

**5. प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति:**

मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में समस्त संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं निदेशक के साथ- प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम एक बार उसके पश्चात् प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है। पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन नोडल विभाग की भूमिका निभाएगा।